तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/8/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी जस्मी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी की आराजी वाके ग्राम गलाना पटवार हल्का गन्दीफली भू0 अभि0 निरी0 क्षेत्र कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। जिसके खाता संख्या नया 97 पुराना 94 खसरा नं0 1 रकबा 6.68 है0, खसरा नं0 611 रकबा 0.75 है0 कुल 2 किता रकबा 3.43 है0 में वादीगण का 1/21 हिस्सा निहित है। वादीगण को उक्त आराजी में पिता के फोती इंतकाल में नाबालिग से बालिग दर्ज कर दिया गया जबकि वादीगण के जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड से दोनो ही नाबालिग है। जिसकी जानकारी होने पर वादीगण ने अनेक बार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिये परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती नहीं किये गये। तथा बालिग से नाबालिग दर्ज नहीं किया गया। उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण को गलती से नाबालिग से बालिग दर्ज कर दिया जबकि वादीगण, आधारकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र में उक्त समस्त दस्तावेजों में वादीगण नाबालिग है जो कि रिकॉर्ड के अनुसार है। इस कारण से वादीगण का नाम उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में बालिग से नाबालिग अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का नाम बालिग से नाबालिग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। एवं अन्य सहायता जो भी वादीगण को मिल सके वह भी दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया गया कि ग्राम गलाना खाता सं0 97 खसरा नं0 1 रकबा 2.68 है0 नहरी दोयम ख0नं0 611 रकबा 0.75 है0 बारानी प्रथम किता 2 कुल रकबा 3.43 है0 सह खातेदार जस्मी पुत्र मुकेश हि0 1/21 जाति माली सा0 देह खातेदार एवं पीयुष पुत्र मुकेश हि0 1/21 जाति माली सा0 देह खातेदार के साथ कुल 9 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जस्मी सुमन एवं पीयुष सुमन का राजस्व रिकार्ड में विरासत नामा0 नं0 1184 दिनांक 28.06.19 ग्राम गलाना ख0नं0 1 एवं ख0नं0 611 में नाम दर्ज करते समय बालिग दर्ज किया गया जबकि दोनो जस्मी सुमन एवं पीयुष सुमन नाबालिग थे। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, कक्षा 5 का प्रमाणपत्र सह ग्रेड तालिका एवं जन्म प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि जस्मी सुमन एवं पीयुष सुमन नाबालिग है। प्रार्थीया जस्मी सुमन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम गलाना खाता सं0 97 खसरा नं0 1 रकबा 2.68 है0 नहरी दोयम ख0नं0 611 रकबा 0.75 है0 बारानी प्रथम किता 2 कुल रकबा 3.43 है0 में प्रार्थीगण जस्मी पुत्री मुकेश एवं पीयुष सुमन पुत्र मुकेश के नाम नाबालिग रूप में दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 22/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी को[illegible]	